न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–दतिया
II/निगरानी/दतिया/भू-रा./2017/2301

राजेन्द्र बघेल पुत्र श्री रामचरण बघेल, निवासी – डिरौलीपार, तहसील सेवढा जिला – दतिया [redacted] (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

श्री .... द्वारा आज दि 21.7.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21.7.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1– इन्द्रवीर सिंह बघेल पुत्र श्री मजबूत सिंह
2– जनक पुत्र श्री छोटे
3– भवानी पुत्र श्री छोटे
निवासीगण – डिरौलीपार, तहसील सेवढा जिला – दतिया [redacted] (म.प्र.)

.......अनावेदकगण

21/07/17

न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत मंगरौल तहसील सेवढा जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक द्वारा पटवारी हल्का नं. 10 तहसील सेवढा में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 25/4, 26 कुल किता 2 कुल रकवा क्रमशः 0.090, 0.400 कुल रकवा 0.490 है0 के सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत मंगरौल तहसील सेवढा जिला दतिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो प्रकरण क्रमांक 11/अ–12/2016–17 पर पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. यहकि, आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि अनावेदक की भूमि से लगी हुयी है। अनावेदक द्वारा जिस भूमि का सीमांकन कराया गया है, उसके आधार पर आवेदक की भूमि में सीमा बता दी गयी है,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2301–दो/17 जिला – दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-09-17	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत मंगरौल तहसील सेवढा जिला दतिया के के प्रकरण कमांक 11/अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 06–7–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। सीमांकन पंचनामे से आवेदक का सीमांकन कार्यवाही प्रभावित होना प्रथमदृष्टया परिलक्षित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	